

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 77

राज्य सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	320.66	...	320.66	377.21	...	377.21	377.21	...	377.21	387.40	...	387.40
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>320.66</b>	...	<b>320.66</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>387.40</b>	...	<b>387.40</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सभापति तथा उपसभापति	0.65	...	0.65	1.02	...	1.02	1.00	...	1.00	1.02	...	1.02
2. विपक्ष के नेता के और उनके सचिवालय	1.03	...	1.03	1.65	...	1.65	1.21	...	1.21	1.43	...	1.43
3. सदस्य	118.11	...	118.11	122.96	...	122.96	121.12	...	121.12	127.46	...	127.46
4. सचिवालय	200.03	...	200.03	250.82	...	250.82	252.75	...	252.75	256.42	...	256.42
5. मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं ग्रुपों के नेता, उपनेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय	0.14	...	0.14	0.25	...	0.25	0.12	...	0.12	0.26	...	0.26
6. अन्य व्यय	0.70	...	0.70	0.51	...	0.51	1.01	...	1.01	0.81	...	0.81
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>320.66</b>	...	<b>320.66</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>387.40</b>	...	<b>387.40</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>320.66</b>	...	<b>320.66</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>387.40</b>	...	<b>387.40</b>
<b>ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं</b>												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	320.66	...	320.66	377.21	...	377.21	377.21	...	377.21	387.40	...	387.40
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>320.66</b>	...	<b>320.66</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>387.40</b>	...	<b>387.40</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>320.66</b>	...	<b>320.66</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>377.21</b>	...	<b>377.21</b>	<b>387.40</b>	...	<b>387.40</b>

2. **विपक्ष के नेता के और उनके सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्यसभा सचिवालय में सभापति, उपसभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, अन्य सुविधाओं के लिए व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है।
4. **सचिवालय:** इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों, संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सब्सिडी और राज्यसभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय का प्रावधान है।
5. **मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं गुप्तों के नेता, उपनेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय:** इसमें मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं/उपनेताओं एवं मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।
6. **अन्य व्यय:** परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय की व्यवस्था करता है।